

## Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

| S.No. |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18    | Recommendation of the State Government:-<br>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा को बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। |

Signature

Date : 06 -11-2023

Place : Raipur



Name - (Manoj Kumar Pingua)  
Principal Secretary,  
Government of Chhattisgarh  
Designation - Deptt. of Forest & Climate Change  
Principal Secretary,  
Mantralaya, Nawa Raipur  
C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक/एफ 5-07/2023/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/11/2023

**वनमहानिरीक्षक,**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,  
छत्तीसगढ़ 492015।

**विषय: —** आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

**संदर्भ:—** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-900/874, दिनांक 05.04.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-900/2211, दिनांक 21.09.2023।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है:—

| बिंदु क्र. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1          | <b>आवेदक विभाग का मांग पत्र —</b><br>आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है। | 1                                          |
| 2          | <b>प्रपत्र। में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) —</b><br>निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक —FP/CG/Other/145285/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.01.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रुपये कुल 24,000 रुपये जमा कराया गया है।                                                                                                                                                             | 2                                          |
| 3          | <b>वन क्षेत्र का विवरण —</b><br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।                                                                                                                                                                                                                          | 3                                          |
| 4          | <b>गैर वन क्षेत्र का विवरण —</b><br>प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                          |

क्रमशः 2



| बिंदु क्र. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5          | प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर –<br>प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 – 6                                      |
| 6          | वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप –<br>वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 – 8                                      |
| 7          | प्रपत्र-4 में प्रस्ताव –<br>प्रपत्र-4 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. वन भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 15.99 करोड़ रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.7 से अधिक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 – 24                                     |
| 8          | प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –<br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु चयन किया गया है।<br>राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के कि.मी. 25.530 से 31.540 कुल लंबाई 6.010 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बी.टी. 3.00 मी है। आवागमन के समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। विद्यमान मार्ग को उन्नयन एवं चौड़ीकरण करने से आवागमन की सुविधा होगी। | 25                                         |
| 9          | वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –<br>आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा छत्तीसगढ़ द्वारा जिला बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग के कि.मी. 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि.मी. निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अंतर्गत आरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206, कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991, कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 इस प्रकार कुल रकबा 8.386 हे. आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 8.386 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेगी वह मान्य होगा।                                                                                                   | 26                                         |
| 10         | न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –<br>प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य वन भूमि की मांग न्यूनतम है। तदाशय का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                         |
| 11         | पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र –<br>प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                                         |
| 12         | वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –<br>आवेदित क्षेत्र में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर अंतर्गत 250 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 – 43                                    |

*Handwritten signature*



| बिंदु क्र. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13         | कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –<br>परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                         |
| 14         | चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –<br>प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                         |
| 15         | गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा–<br>प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46                                         |
| 16         | स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –<br>आवेदित वन भूमि 8.386 हे. के एवज में चित्रकोट परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड चालकीपारा के 16.772 हे. नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 – 67                                    |
| 17         | वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –<br>आवेदित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. के एवज में दुगुने क्षेत्र रकबा 16.772 हे. वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य हेतु निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा हस्ताक्षरित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                                                                                                               | 68 – 69                                    |
| 18         | अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण –<br>निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                         |
| 19         | अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –<br>निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71                                         |
| 20         | अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –<br>निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72                                         |
| 21         | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –<br>कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 73                                         |
| 22         | कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान–प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74                                         |
| 23         | रिकलेमेशन प्लान –<br>प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिकलेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                         |

K. J. B. L.



| बिंदु क्र. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24         | माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76                                         |
| 25         | व्यवस्थापन प्लान – प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                                         |
| 26         | वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 पर सहायक वन संरक्षक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। सहायक वन संरक्षक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन), एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा दिनांक 31.05.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।                                                              | 78 – 98                                    |
| 27         | ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99                                         |
| 28         | संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. कक्ष क्रमांक 164 में से रकबा 1.991 एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्मूलन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु सरपंच ग्राम पंचायत कामानार एवं फोटमसार का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                                            | 100 – 102                                  |
| 29         | जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में – बस्तर जिले की कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103                                        |
| 30         | व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – बस्तर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृति नहीं की गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104                                        |
| 31         | व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – बस्तर वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105                                        |
| 32         | प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। तदनुशंसा का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 106                                        |
| 33         | 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                                        |
| 34         | वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बस्तर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र 03.03.2022 को जारी किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 – 118                                  |



| बिंदु क्र. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 35         | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र —<br>प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 — 121                                  |
| 36         | माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र —<br>माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122 — 123                                  |
| 37         | <b>Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2<sup>nd</sup> stage clearance —</b><br>प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा की जावेगी। निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर का वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                   | 124 — 125                                  |
| 38         | <b>A detailed note on Soil Productivity or the lack of it —</b><br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में भूमि की दशा प्रायः रेतीली, मूर्मी, एवं पथरीली है जो प्राकृतिक (GEO-ECOLOGICAL) कारणों से है। | 126                                        |
| 39         | <b>परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र —</b><br>वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।                                                                                                                                                                                               | 127                                        |
| 40         | <b>Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 —</b><br>केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128                                        |
| 41         | पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण —<br>बिन्दु क्रमांक -2 पर विवरण दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129                                        |
| 42         | वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत —<br>आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130                                        |
| 43         | विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण—<br>लागू नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131                                        |
| 44         | प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण —<br>प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132                                        |

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर Diversion मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर द्वारा अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: — प्रस्ताव 1 प्रति में।

K. Raju  
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/11/2023

पृ.क्रमांक एफ 5-07/2023/10-2

प्रतिलिपि:—

1. वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणी खण्ड), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली — 110003।
  2. सहायक वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली— 110003।
  3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
  4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
  5. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
  6. मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
  7. संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
  8. कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

K. Raju  
अवर सचिव, 8.11.23

छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

016